# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

**अपील(सू.का.अ)संख्या 61/2022** बउनवानी राजू कांकोरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि.स0मा0
पुत्र स्व0 श्री देवीनारायण कांकोरिया ग्राम व पोस्ट खण्डार

**GCMS No-2022/109**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| 29.7.2022 | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 14.5.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— |

1. सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर कितने उचित मूल्य दुकानदारो—राशन डीलरो के खिलाफ दिनांक 1.1.2020 से 14.5.2022 तक रसद सामग्री गबन घोटाले—काला बाजारी की जितनी भी शिकायते समस्त माध्यमो से कार्यालय जिला रसद अधिकारी स0मा0 को प्राप्त हुई है उन समस्त सम्पूर्ण शिकायती पत्रों की सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत तय निर्धारित समय सीमा मे आवेदक को प्रमाणित नकल नकल उपलब्ध करवाने की कृपा करे।
2. उचित मूल्य राशन दुकान की पोस मशीन नम्बर 11285 एवं 11290 राजेश कुमार शर्मा (निलम्बित—निरस्त) उचित मूल्य दुकानदार—राशन डीलर व ग्राम पंचायत खण्डार तहसील खण्डार के पास किस दिनांक से किस दिनांक तक सुपुदर्गी मे रही थी उसके सम्पूर्ण दस्तावेजो की सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत तय निर्धारित समय सीमा मे आवेदक को प्रमाणित नकल उपलब्ध करवाने की कृपा करे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक/सूकाअ/2022/757 दिनांक 28.7.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने एवं चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण तलाश किया जाना सम्भव नही है। तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना से संबंधित पत्रावली जिला कलेक्टर न्यायालय मे भिजवाई जा चुकी है इसलिए सूचना दिया जाना सम्भव नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 14.5.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 मे चाही गयी सूचना (क्रमशः उक्त [illegible] मे प्राप्त शिकायतो पत्रो की प्रति/पोस मशीन नम्बर 11285 एवं 11290 मशीन [illegible] शर्मा की सुपुदर्गी मे रहने संबंधी दस्तावेजात) की प्रति अपीलान्ट को 15 दिवस मे निः[illegible] उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:29:43 IST
Reason: SelfAttested